पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

शिलांग, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 210.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय शिलांग (वर्ग 'ख' पद) भर्ती नियम, 1987 जहां तक वे वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के संबंध में है, का अधिक्रमण करते हुए, परंतु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद की भर्ती प्रणाली को विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय शिलांग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, (वर्ग 'ख') पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलगन अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हताए आदि.**—उक्त पदों की भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हता.**—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	4* (2005) *कार्यभार के आंधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी
7	8	9
30 वर्ष **नोट 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय **नोट 2 :** आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले लाहौल और स्पीति जिले के पांगी सब डिवीजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि नहीं)।	**अनिवार्य :** (क) भौतिक शास्त्र/गणित/भू-भौतिकी/सांख्यिकी/भूगर्भ विज्ञान में मास्टर डिग्री; अथवा (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री। **नोट 1 :** उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य चयन आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। **नोट 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग को लगता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **वांछनीय :** वैज्ञानिक आंकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11	12
दो वर्ष	सीधी भर्ती पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर करा जा सकता है। (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5000—8000 के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा या समकक्ष; या (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 4500—7000 के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के बाद छह वर्ष की सेवा या समकक्ष; और (ख) कालम 8 के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव।	लागू नहीं होता

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. उप सचिव या निदेशक, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय —अध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग —सदस्य 3. असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग —सदस्य	इन नियमों के उपबंधों में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[सं. एनईसी/एडीएम/24/2002(जे आर)]

राजीव माथुर, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 8th June, 2005

G.S.R. 210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Senior Technical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Senior Technical Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said, post age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Senior Technical Assistant	4* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
30 years. **Note 1 :** (Relaxable for Government servents upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).	**Essential :** (a) Master's degree in Physics/Mathematics Geophysics/Statistics/Geology or (b) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognised University or institute or equivalent. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates beloging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable:** Three year's experience in collection and analysis of scientific data.	Not applicable

1790GI/05—3

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
10	11	12
Two years	Direct recruitment. Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department ; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto in regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department ; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of apy of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Deputy Secretary or Director, North Eastern Council Secretariat, Shillong — Chairman 2. Director, Science and Technology, North Eastern Council Secretariat, Shillong — Member 3. Assistant Post Master General Post Master General's Office, Shillong — Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provisions of these rules.

[No. NEC/ADM/24/2002 (JR)]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.